

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 02/11/2011

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094/- राज्य शासन एतद्वारा, प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत उन शिक्षाकर्मियों को जिनकी पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें निम्नानुसार क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करता है :-

क्रमांक	शिक्षाकर्मि वर्ग	वर्तमान वेतनमान	क्रमोन्नति वेतनमान
1.	वर्ग - 01	रूपये 5300-150-8300	रूपये 6800-200-10800
2.	वर्ग - 02	रूपये 4500-125-7000	रूपये 5300-150-8300
3.	वर्ग - 03	रूपये 3800-100-5800	रूपये 4500-125-7000

यह आदेश दिनांक 01.11.2011 से प्रभावशील होगा।

उक्त आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(देवाशीष दास)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पू.क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1095
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/11/2011

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
-
1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
10. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त संयुक्त/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनघट पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

de 02/11/11

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग